प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

तारां० प्र० क्रमांक 2447/9-3-18

परिशिष्ट संख्या [9/3/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 2447]

कलेक्टोरेट शिवपुरी
शाखा CMHO
18 OCT 2017

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1373/2637/2017/सत्रह/मेडि-02, भोपाल, दिनांक 11/10/2017

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्य प्रदेश।

विषयः स्वास्थ्य सेवाओं की आम जनता को सहजता से उपलब्धता के लिए मैदानी अमले को और अधिक क्रियाशील एवं जबावदेह करने हेतु निर्देश।

—00—

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आम जनता को सहजता से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कार्य कर रहा है, किंतु विभाग के मैदानी अमले के मुख्यालय पर नहीं रहने, अनेक स्वास्थ्य संस्थाओं में अमले की कमी आदि के कारण कतिपय संस्थाओं पर अत्यधिक दबाब निर्मित हो रहा है, वहीं अनेक स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप उनकी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

2/ स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन में कसावट लाने के लिए हाल ही में विभागीय स्तर पर निर्देश जारी किए गए हैं। जिला अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि वे आपके समक्ष उपस्थित होकर इनकी जानकारी देवें, किंतु इन निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कुछ बुनियादी गतिविधियां हैं, जिन पर आपका ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है :–

- अधीनस्थ मैदानी अमले की मुख्यालय पर उपलब्धता।
- जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं की क्रियाशीलता के लिए जिला स्तर पर विभागीय अमले का युक्तियुक्तकरण।
- जिला, विकासखण्ड एवं सेक्टर स्तर पर पदस्थ अमले के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में सुनियोजित रूप से भ्रमण कार्यक्रम तैयार कर भ्रमण करने की स्थिति की समीक्षा।
- निःशुल्क जांच एवं दवाओं की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में निर्देशों के अनुरूप उपलब्धता।
- जिला अस्पताल एवं शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में संस्थागत प्रसव का दबाब रोकने के लिए एल–1 संस्थाओं को सामान्य प्रसव के लिए पूर्ण क्रियाशील करना।
- भविष्य में संस्थागत रूप में सामान्य प्रसव की व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए नई एल–1 संस्थाओं को विकसित करना।
- उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर आंगनबाड़ी के सहयोग से न्यूनतम 04 ए.एन.सी. चेकअप, टीकाकरण, बाल कुपोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी विषयों पर प्रमुखता से कार्य।
- जिला, विकास खण्ड, सेक्टर एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर महिला बाल विकास विभाग के साथ गहन समन्वय।

3/ इन बिन्दुओं पर आपके स्तर पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला एवं विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित कर कार्य करने के लिए कार्य योजना बनाने तथा मैदानी अमले की अपने मुख्यालय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से प्रयास किए जाने की आवश्यकता होगी।

4/ अतः अनुरोध है कि आप प्राथमिकता के उक्त बिन्दुओं पर विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर इनकी समीक्षा कर स्थिति में समुचित सुधार लाने हेतु कार्यवाही करें।

(गौरी सिंह) 14.10
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्र. 1374) 2687 /सत्रह/मेडि–2/2017 भोपाल, दिनांक 11.10.17

प्रतिलिपि :

1. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्य प्रदेश।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्य प्रदेश।
4. समस्त संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्य प्रदेश।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया आप इस विषय पर प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने के लिए विभागीय गतिविधियों/योजनाओं की जानकारी एवं विभाग द्वारा हाल ही में जारी महत्वपूर्ण निर्देशों से कलेक्टर महोदय को अवगत कराएं तथा उनके मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर विभागीय गतिविधियों का मैदानी स्तर पर प्रभावी रूप से संचालन सुनिश्चित करें।
6. समस्त सिविल सर्जन, मध्य प्रदेश।

प्रमुख सचिव 14.10
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग